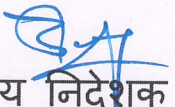


राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण आदि के भाग/हिस्सा के सम्बन्ध में
प्रामाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना क्रियान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर द्वारा जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत रदैता स पीलीभीत खण्ड तक (नया एन.एच. 731क पैकेज-4 मार्ग (LHS+RHS) कि.मी. (43.000 से 80.000) (Design Chainage Km. 137.250 to 183.380) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 44.376 ह० संरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग/हिस्सा नहीं है तथा उक्त प्रयोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि/दूरी के अन्तर्गत कोई सेन्चुरी क्षेत्र नहीं पड़ता है।


प्रभागीय निदेशक
वन और वन्य जीव प्रभाग
संघीय वन्य जीव प्रभाग
पीलीभीत